UPKU010035512026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थित: **सत्यपाल सिंह प्रेमी, (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP01829**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या**–881/2026**

सुफियान सिद्दीकी उर्फ सुफियान आलम उर्फ महमूद आलम बउम्र 30 वर्ष पुत्र औरंगजेब, साकिन–पिपरा कुचिया मठिया, थाना–पटहेरवा, जिला–कुशीनगर।

–––– प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

–––अभियोजन पक्ष।

मु०अ०सं०–81/2026,
धारा–3 (1) उ०प्र० गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि० 1986,
थाना–कोतवाली हाटा,
जिला–कुशीनगर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

1– उपरोक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त **सुफियान सिद्दीकी उर्फ सुफियान आलम उर्फ महमूद आलम** ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनाक 17.02.2026 को वादी मुकदमा/प्रभारी संजय दूबे मय हमराह मय सरकारी वाहन बोलेरो UP 32EG 3129 मय चालक के थाना से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र पेण्डिग विवेचना थाना क्षेत्र भ्रमण चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति शान्ति व्यवस्था मे मामूर होकर अपराध एवं अपराधियो की समीक्षा व आम जनता से वार्ता के दौरान ज्ञात हुआ कि गैंग लीडर मुकेश गुप्ता एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है तथा इसका एक संगठित अपराधिक गिरोह है। यह अपने गैंग का गैंग लीडर स्वयं है तथा इसके साथी अब्दुल शाह, सुफियान सिद्दिकी उर्फ सुफियान आलम उर्फ महमूद आलम इस गैंग के सक्रिय सदस्य है तथा एक साथ मिलकर एक संगठित अपराधी गिरोह कायम किये है, जो जनपद व अन्य जनपदो मे सक्रिय है। यह गैंग अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यो को आर्थिक

भौतिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु गोवंशीय पशुओं गाय, साड, बैल की तस्करी करते है और उ०प्र०, बिहार व बंगाल ले जाकर काटकर अवैध धन अर्जित कर जीविका चलाते है। अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 03.08.2024 को एक पिकप संख्या UP 57T 6170 में गोवशी पशुओं को लादकर वध हेतु ले जाते समय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अभियुक्तगण के कब्जे से एक पिकप संख्या UP 57T 6170 में कुल 07 राशि गोवंशीय पशु जिन्दा की बरामद किया गया था। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 622/2024 धारा 109/61 B.N.S. व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट व 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आरोप पत्र–A–631 दिनांक 29.09.2024 व अभियुक्त मुकेश गुप्ता के विरुद्ध जुर्म धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में आरोप पत्र संख्या A–631A दिनांक 20.12.2024 प्रेषित किया गया है।

3– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में लम्बित या खण्डित नहीं है। प्रार्थी निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी किसी संगठित गिरोह का सदस्य नहीं है और न ही किसी मुकेश गुप्ता को जानता है। प्रार्थी समाज विरोधी क्रिया कलाप में नहीं रहता है और न ही प्रार्थी के कार्य से समाज या आम जनमानस में कोई भय ही व्याप्त है। प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अभियोग पंजीकृत किये जाने के पूर्व जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की न तो संयुक्त मीटिंग नहीं हुई बल्कि अलग–अलग तिथियों पर विधि के प्रतिकूल समति प्राप्त की गयी है। प्रार्थी के विरूद्ध एक ही मुकदमें का उल्लेख किया गया है जिसमें प्रार्थी पूर्व से ही जमानत पर रहा है तथा जेल में रहकर मुकदमें की पैरवी करने में असमर्थ है। प्रार्थी दिनांक 18.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अन्त मे प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु याचना की गई।

4– विद्वान विशेष लोक अभियोजक, गैंगस्टर एक्ट के द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त गिरोह का सदस्य है, जो गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु गो तस्करी जैसे अपराध कारित करता हैं और अपना जीवन यापन करता है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गई।

5– न्यायालय द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक, गैंगस्टर एक्ट व प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा केस डायरी व अन्य प्रपत्रो का परिशीलन किया गया।

6– प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द समाज विरोध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में दर्ज किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि वह एक संगठित गिरोह का सदस्य है तथा अपने व अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये गौवंशीय पशुओं गाय, साड़, बैल की तस्करी जैसे गम्भीर अपराध को कारित किया जाता है।

थाने द्वारा गैंग चार्ट के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध मु०अप०सं० 622/2024 धारा 109/61 B.N.S. व 3/4/25/27 आयुध अधिनियम व 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कोतवाली हाटा जिला कुशीनगर दर्ज है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि गैंग चार्ट में अंकित

मुकदमें में अभियुक्त की जमानत हो चुकी है। प्रस्तुत मामले में पुलिस द्वारा अभी तक ऐसा कोई सर्वोत्तम साक्ष्य संकलित नहीं कर पायी है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता हो कि अभियुक्त गैंग के सदस्य के तौर पर गौ तस्करी से संबंधित अपराध कारित करता हो। सभी आरोपित अपराध विचारण का विषय वस्तु हैं। प्रार्थी दिनांक 18.02.2026 से जेल में निरूद्ध है। प्रस्तुत मामले में गवाह पुलिस के लोग है, जिन्हें डराने व धमकाने की सम्भावना नगण्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित आधार उचित एवं पर्याप्त हैं। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र बिना गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **सुफियान सिद्दीकी उर्फ सुफियान आलम उर्फ महमूद आलम** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु०–1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि का दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

1– प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विवेचना विवेचक द्वारा बुलाये जाने पर विवेचना में सहयोग करेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन के गवाहों को डरायेगा या धमकायेगा नहीं।

3– प्रार्थी/अभियुक्त इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

4– वह गवाहों के उपस्थित होने पर स्थगन नहीं देगा।

5– वह आरोप विरचित किये जाते समय एवं धारा–313 दं०प्र०सं० के बयान अंकित किये जाते समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से किया जाता है तो अभियोजन को प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत निरस्त कराने का एक पर्याप्त आधार होगा।

दिनांक 03.06.2026

(सत्यपाल सिंह प्रेमी)
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी–।,
कुशीनगर स्थान पडरौना।

Digitally signed by SATYA PAL SINGH PREMI
Date: 2026.06.03 16:49:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court